(वाद सं0.-3494/19)

31.08.2020

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, के 13 वर्षीया पुत्री, सुषमा कुमारी, का उसके सह –ग्रामीणों द्वारा अपहरण कर गायब किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **वरीय पुलिस अधीक्षक, गया** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रसंगाधीन मामले को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 366(ए) के अंतर्गत वजीरगंज थाना कांड सं0–438/17, दिनांक 15.09.2017 संस्थित किया गया है। अन्वेषण के क्रम में कथित अपहृता, सुषमा कुमारी, का द0प्र0स0 की धारा 164 के अंतर्गत न्यायालय में बयान लिपिबद्ध कराया गया जिसमें उसका कथन है कि उसने स्वेच्छा से अपने ग्रामीण, राजीव मांझी उर्फ जितेन्द्र कुमार, से विवाह कर लिया है तथा इस विवाह से उसे एक पुत्री भी है। बरामदगी के उपरान्त न्यायालय के आदेश से कथित अपहृता को उसके सास के सुपूर्द कर दिया गया है। चुँकी धटना के समय कथित अपहृता नावालिग थी, अतः अनुसंधानोपरान्त, राजीव माझी उर्फ जितेन्द्र कुमार, के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 366(ए) के अंतर्गत **आरोप पत्र समर्पित** किया गया है तथा वर्तमान में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। वर्तमान में प्रसंगाधीन मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामला न्यायालय के समक्ष विचारणीय है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग द्वारा कोई आदेष/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी संबंधित न्यायालय से विधिनुसार वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **वरीय पुलिस अधीक्षक, गया** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

सहायक निबंधक